प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 11.12.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अंतर-राज्यीय चोर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चारी के आभूषण/जेवरात, रुपया व कूटरचित दस्तावेज बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल के नेतृत्व में व0उ0नि0 अनित राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 674/24 धारा 305(a) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त जयेश रावजी सेजपाल पुत्र रावजी सेजपाल निवासी बी-101 पद्वत सोसाईटी मुक्तानंद वापी वेस्ट थाना जीईडीसी वलसाड, गुजरात को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से आभूषण/जेवरात, रुपया व कूटरचित दस्तावेज बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4)/336(3)/318(4)/317(4) भा0न्या0सं0 की बढ़ोतरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.11.2024 को होटल मैरयिट कोर्टयार्ड तारामंडल गोरखपुर में मेरे भतीजे के तिलक का कार्यक्रम था। जहाँ से हीरे, सोने के जेवरात/ आभूषण व रुपये चोरी हो गये। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह सन् 2000 से ही पांच सितारा व सात सितारा होटलो में चोरी करता है। अभियुक्त द्वारा अब तक पूरे भारत वर्ष के भिन्न-भिन्न शहरों व राज्यों में लगभग 20-25 चोरी की घटना कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा बर्ष 2000 में मुम्बई में पहली चोरी की घटना कारित की गयी थी। उसके बाद से अब तक मुम्बई चेन्नई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, जोधपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जालंधर, चंडीगढ़, केरल, रायपुर, कलकत्ता, उदयपुर,लखनऊ, गोवाहाटी, करनाल और गोरखपुर के पांच सितारा व सात सितारा होटलो में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गोरखपुर में चारी की घटना के पूर्व अभियुक्त द्वारा करनाल(हरियाणा) के एक पांच सितारा होटल में अप्रैल-2023 में चोरी की गयी थी, जिसमें अभियुक्त मई-2023 में गिरफ्तार हुआ और दिनांक 08.11.2024 को जेल से रिहा होने के पश्चात दिनांक 16.11.2024 को गोरखपुर कोर्टयार्ड होटल में चोरी किया।

चोरी की घटना के दौरान अभियुक्त होटल के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। अभियुक्त ने घटना के दिन शाम को 06:33 मिनट पर होटल में पैदल प्रवेश किया और लगभग 01 घण्टे वादी को फालो किया। इस दौरान अभियुक्त द्वारा वादी के रूम नम्बर-1011 की जानकारी कर होटल का कर्मचारी बन कर होटल के इंटरकाम से वादी के कमरे में फोन कर वादी के नाम की जानकारी की गयी और जब वादी परिवार सहित शादी सामरोह में शामिल होने के लिए रूम लॉक कर चले गये तो अभियुक्त द्वारा पुनः इंटरकाम कनेक्शन से होटल के रिसेप्शन पर फोन किया गया और वादी का नाम लेकर बताया गया कि मै बोल रहा हूं। मेरा रूम नम्बर-1011 है। मेरे रूम की चाभी खो गयी है मुझे कुछ जरूरी सामान निकालने है मेरे रूम को मास्टर चाभी से खोल दिया जाये। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा रिसेप्शनिस्ट के साथ छल कर झांसा देकर वादी के रुम का एक्सेस प्राप्त किया गया और रुम में पहुँचकर रुम के अन्दर लगे हुए लाकर का पासवर्ड तोड़कर ज्वेलरी और रुपयों की चोरी की गयी थी। इस प्रकार की चोरी के सम्बन्ध में इन्टरनेट पर सर्च कर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि इसी प्रकार की मॉडस ऑप्रेन्डि को अपनाते हुए पूर्व में अभियुक्त जयेश रावजी द्वारा दर्जनों चोरियां की गयी हैं। पूर्व में वर्ष-2023 में अभियुक्त जयेश रावजी करनाल हरियाणा में गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के फोटोज व वीडियो न्यूज पेपरों व न्यूज चैनलों पर प्रसारित की गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सी.आई.ए. (क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी) करनाल हरियाणा पुलिस द्वारा उपलब्ध करायी गयी। अभियुक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सर्विलांस और मुखबीर द्वारा अभियुक्त की

गतिविधियों को ट्रैक किया गया। अभियुक्त पुनः गोरखपुर में होटलो में चोरी करने की फिराक में गोरखपुर आया था। जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जयेश रावजी सेजपाल पुत्र रावजी सेजपाल निवासी बी-101 पद्वत सोसाईटी मुक्तानंद वापी वेस्ट थाना जीईडीसी वलसाड, गुजरात

गिरफ्तारी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 674/24 धारा 305(a),331(4),336(3),318(4),317(4) भा0न्या0सं0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0स0 605/2024 धारा 380/457/419 भादवि थाना जवाहर सर्किल जयपुर ,राजस्थान
3. मु0अ0स0 259/17 धारा 454/380 भादवि थाना महारानीपेटा जनपद-आन्ध्र प्रदेश
4. मु0अ0स0 216/23 धारा 380/457/411/419/420/201 भादवि थाना सेक्टर-32-33 कारनाल जनपद हरियाणा
5. मु0अ0स0 625/2024 धारा 380/419/420 भादवि थाना-अम्बा माता उदयपुर, राजस्थान
6. मु0अ0स0 209/2023 धारा 380 भादवि थाना बेल्टा रोडी नागपुर सिटी, महाराष्ट्र
7. मु0अ0स0 254/2000 धारा 380/454 भादवि थाना कोल्बा बिरहन, महाराष्ट्र

बरामदगी-

1. एक अदद अंगूठी पीली धातु
2. एक अदद अंगूठी सफेद धातु
3. दो अदद चैन पीली धातु
4. एक अदद घडी TISSOT कम्पनी
5. एक अदद पैडेन्ट सेट
6. कान बाली सफेद धातु
7. एक जोड़ा कान की बाली सफेद/पीली धातु
8. एक अदद छोटा मोबाइल
9. एक अदद मोबाइल एन्ड्रायड फोन
10. चार अदद आधार कार्ड
11. एक अदद पैन कार्ड
12. 12270 रुपये

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 अनित राय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राम सिंह चौकी प्रभारी पामपैराडाइज थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 कयूम अली थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. का0 नकीब खान थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. का0 अनुराग सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
6. का0 प्रिन्स राय एस ओ जी टीम गोरखपुर

नोट- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा उक्त घटना का अनावरण व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25000 रु0 का पुरस्कार प्रदान किया गया।